

तारीख अहकाम  
की तारीख

FORM No. III  
फर्द अहकाम  
(नियम 26)

अज अदालत ..... मुकाम .....  
..... मांगीलाल ..... बनाम रामचन्द्र .....  
करम मुकदमा ..... नं. 148/18 ..... सन् .....

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तारीख में जारी हुए
------------	-----------------------------------	--

इसफिले नही कोसे इन्के विकसल एफरपण्य  
व्यवसायी छिने जणे के लपेरा छिने  
छिने छी ० पत्रावली अब एफतरपण्य वक्ष  
के डिगंठ 11/11/19 को पेशा हो।

11/11/19

पत्रावली आज पेशा इही  
पार्ची अधिकता उपस्थित। पार्ची  
अधिकता ने बताया कि राजस्थान काबतकारी  
अधिनियम की धारा 188 के तहत पार्ची के  
पक्ष में विरुद्ध अपार्ची के ~~अधिकता~~ (आपी  
निषेधाज्ञा से दावा लख्या 41/2017 के निर्णय  
से पाबंद किया जा चुका है अतः अब वह  
यह प्रार्थनापत्र बाबत राजस्थान काबतकारी  
अधिनियम 1955 की धारा 212 को जरिए  
Note pass खारीज करवाना चाहता है।

Nery  
Pansy  
[Signature]

हमने पत्रावली का अध्ययन  
किया। विद्वान अधिकता के तर्कों पर  
मनन किया इस पत्रावली से संबंधित  
संक्षिप्त तथ्य निम्न है।

पार्ची द्वारा इस न्यायालय में  
प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 (2) राजस्थान  
काबतकारी अधिनियम की धारा 212 एवं  
रिक्वैरी बाबत पेशा किया। उक्त प्रार्थना पत्र

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही का दिनांक/दिनांक	गुण्डर व तारीख का जो इस हुकम की तारीख में जारी हुए
------------	------------------------------------	--

मूल दावा मोजीबुल कानून रामचन्द्र मुकदमा नंबर 41/2017 के दावा पेश किया गया। उक्त दावा जमानगी न्यायालय द्वारा निर्णय दिनांक 23/11/2019 को स्वीकार किया और प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया गया है कि वादी की खातेदारी आराजी गोजा ग्राम पारसोली पटवार हल्का पारसोली नं- 352 की जमावेंदी संवत् 2072 के खाता खर्चों की संख्या 287 में अंकित काराजिमत 1706/23, 1707/757, 1708/758, 1709/706, 1710/787 कुल किता- 05 कुल एकवा 0.38 हेक्टरर इपि जमि में किसी प्रकार से हस्तक्षेप न हो स्वयं को न ही अन्य किसी से करावे।

हमने सम्पूर्ण पत्रावली का अध्ययन व दस्तावेजों का अवलोकन करने पर मूल दावा 41/2017 को स्वीकार किए जाने से अथवा प्रार्थना पत्र 212 राजस्थान फाइलकारी अधिनियम 1955 का अर्थ कोई अर्थव्यक्त नहीं है। क्योंकि इज्जती को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जा चुका है।

अतः जर्जी का प्रार्थना का जरिये Note प्रथम जारी किया जाता है पत्रावली जेलल कुमार होकर नंबर से कम है।

11/11/19